बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

Registered
Email

आदेश

श्री सुन्दर प्रसाद चौरसिया, तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना सम्प्रति प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर के विरूद्ध पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2229 दिनांक–11.09.15 द्वारा प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मेधा छात्रवृत्ति योजना आदि मद की राशि का समय से वितरण नहीं करने, आवंटित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने एवं विभागीय निदेश की अवहेलना का आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोप के आलोक में श्री चौरसिया से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री चौरसिया द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1999 दिनांक–21.09.17 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। श्री चौरसिया द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत अस्वीकृत किया गया।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के अधीन जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। श्री चौरसिया के विरूद्ध जाँच हेतु आरोप संलग्न आरोप–पत्र में अंकित हैं तथा जिस अभिलेख के आधार पर आरोप निर्धारित किए गए हैं, उसकी विवरणी भी अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट है।

2. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप निदेशक कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. श्री चौरसिया से एतद् द्वारा अपेक्षित है कि वे अपना लिखित बचाव प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी को पत्र प्राप्ति के अधिकतम 10 कार्य दिवस के अन्दर निश्चित रूप से समर्पित कर दें।

4. श्री चौरसिया को सूचित किया जाता है कि विभागीय जाँच उन्हीं आरोपों या अभिकथनों के संबंध में की जाएगी जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उन्हें अभियोगों के विवरण में दिए गए हर अभिकथन और आरोपों को विशिष्ट रूप से या तो स्वीकार करना है या अस्वीकार। जिन–जिन अभिकथनों को वे विशिष्ट रूप से अस्वीकार नहीं करेगें, वे स्वीकृत समझे जायेंगे।

5. श्री चौरसिया को यह सूचित जाता है कि यदि उनका बचाव प्रतिवेदन उपर कंडिका–3 में उल्लिखित समय–सीमा या उसके पूर्व प्राप्त नहीं होगा तो जाँच एकपक्षीय निष्पादित कर ली जाएगी।

6. श्री चौरसिया का ध्यान बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अधीन यदि कोई सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपने नियुक्ति एवं संबंधित विषयों में अपने स्वार्थो को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से अपने किसी उच्चस्थ पदाधिकारी पर न तो दबाव डालेंगे

और न डालने की कोशिश करेंगे। यदि कार्यवाही में विचारणीय किसी बात के संबंध में उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पैरवी की जाती है और वह पैरवी उनकी प्रेरणा से की गई तो नियमावली के नियमों के अतिक्रमण के लिए उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

7. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. इस आदेश की प्राप्ति की सूचना दी जाय।

13/11/17

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–3जी/(आरोप) अजा0 अजजा0 (राज0)–22/2015–2828 पटना, दिनांक– 14.11.17

प्रतिलिपि– आरोप–पत्र एवं साक्ष्य (छाया प्रति) के साथ निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1– संचालन पदाधिकारी–सह–उप निदेशक कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

2– उपस्थापन पदाधिकारी–सह–जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना।

3–उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

4–जिला पदाधिकारी, पटना।

4–विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

5– श्री सुन्दर प्रसाद चौरसिया, तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना सम्प्रति प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर।

13/11/17

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–3जी/(आरोप)अजा0अजजा0(राज0)–22/2015–2828 **पटना, दिनांक–** 14.11.17

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/11/17

विशेष कार्य पदाधिकारी।